

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अनुसार श्रीमती मालती देवी पति महेश कुमार साव, सुरेश प्रसाद साव पिता मनोहर साव, आरती कुमारी पति अजय प्रसाद, रवींद्र कुमार प्रसाद पत्नी खुशबू कुमारी, नितेश प्रसाद पिता महेंद्र प्रसाद साव, कुमार राहुल पिता प्रदीप कुमार, कारण कुमार पिता दिलीप कुमार, राम प्रवेश पिता भोला साव, राकेश कुमार पिता भोला साव, अरुण कुमार पिता राम दुलार साव, चंदा देवी पति अनिल कुमार साव, बेचन कुमार पिता फुलचंद साव, अमन कुमार पिता दिलचंद साव, शिवनंदन कुमार पत्नी रिंकि कुमारी, अमित कुमार पिता केदार साव एवं संजय प्रसाद पत्नी सुमित्रा कुमारी निवासी ग्राम: आरा एवं चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा , थाना सं : 55 (रैयती) खाता सं. 91 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 800, 889, 974, 1394, 1627, 1633, 1849, 1901, 1912, 1913, 975, 976, 977, 988, 1030, 1051, 591, 594, 613, 489, 498, 499, 550, 587, 663, 681, 1634, 1836, 1846, 1848, 752, 753, 754, 755, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 888 & 801, 831, खाता सं. 98 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 680, 994, 995, 996, 998, 1047, 1048, 1049, 1050, 1630, 1631, 1632, 348, 349, 530, 350, 352 & 351 एवं ग्राम: चमातु , थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 118 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2292, 2293, 2298, 2299, 2300, 2304, खाता सं. 67 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2380, , खाता सं. 127 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2302, 2354, 2356 कुल रकबा - 32.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा एवं चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा , थाना सं : 55 (रैयती) खाता सं. 91 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 800, 889, 974, 1394, 1627, 1633, 1849, 1901, 1912, 1913, 975, 976, 977, 988, 1030, 1051, 591, 594, 613, 489, 498, 499, 550, 587, 663, 681, 1634, 1836, 1846, 1848, 752, 753, 754, 755, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 888 & 801, 831, खाता सं. 98 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 680, 994, 995, 996, 998, 1047, 1048, 1049, 1050, 1630, 1631, 1632, 348, 349, 530, 350, 352 & 351 एवं ग्राम: चमातु , थाना सं : 56 (रैयती) खाता सं. 118 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2292, 2293, 2298, 2299, 2300, 2304, खाता सं. 67 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2380, , खाता सं. 127 के अंतर्गत प्लॉट सं:- 2302, 2354, 2356 कुल रकबा - 32.00 एकड़ भूमि के श्रीमती मालती देवी पति महेश कुमार साव, सुरेश प्रसाद साव पिता मनोहर साव, आरती कुमारी पति अजय प्रसाद, रवींद्र कुमार प्रसाद पत्नी खुशबू कुमारी, नितेश प्रसाद पिता महेंद्र प्रसाद साव, कुमार राहुल पिता प्रदीप कुमार, कारण कुमार पिता दिलीप कुमार, राम प्रवेश पिता भोला साव, राकेश कुमार पिता भोला साव, अरुण कुमार पिता राम दुलार साव, चंदा देवी पति अनिल कुमार साव, बेचन कुमार पिता फुलचंद साव, अमन कुमार पिता दिलचंद साव, शिवनंदन कुमार पत्नी रिंकि कुमारी, अमित कुमार पिता केदार साव एवं संजय प्रसाद पत्नी सुमित्रा कुमारी निवासी ग्राम: चमातु, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

